

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जीन्द।

आदेश क्रमांक सा-2-99/ 77

दिनांक : 15/5/99

महाराणा प्रताप उच्च विद्यालय मुआना (जीन्द) को छठी से आठवीं तक निम्न शर्तों पर स्थायी मान्यता तुरन्त प्रभाव से प्रदान की जाती है :

1. विद्यालय में सी. पी. एफ. की स्कीम लागू की जाए।
2. पुस्तकालय में पुस्तकों की मात्रा बढ़ाई जाए।
3. विद्यालय के स्टाफ की नियुक्ति के समय आरक्षण को नियमानुसार लागू किया जाए।
4. संस्था विभाग से किसी भी प्रकार की कोई ग्रांट की मांग नहीं करेगी और अपने ही खर्चे पर चलाएगी।
5. विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा वि. शि. बोर्ड, भिवानी के द्वारा जारी की गई समय-2 पर हिदायतों का पालन करेगी।
6. संस्था शिक्षा संहिता 214 से 239 में सभी शर्तों का पालन करेगी।

यदि विद्यालय विभाग/सरकार/बोर्ड द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना नहीं करता तो मान्यता किसी भी समय रद्द की जा सकती है।

(निर्मल लाठर)
जिला शिक्षा अधिकारी,
जीन्द।

प्र.क्रम. सम

दिनांक : _____

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निदेशक, सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
3. उप मण्डल शिक्षा अधिकारी, जीन्द/नरवाना/सफीदों।
4. मुख्याध्यापक, महाराणा प्रताप उच्च विद्यालय, मुआना (जीन्द)
5. कार्यालय आडिट/आंकड़ा शाखा के लिए।
6. सभी जिला शिक्षा अधिकारी, हरियाणा राज्य।
7. प्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन जीन्द।

Neeraj
जिला शिक्षा अधिकारी,
जीन्द।

15/5/99